रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28, 1976/फाल्गुन 9, 1897

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1976/PHALGUNA 9, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL ... No. ... Date ... GOVT. ...

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 28th February 1976

SUBJECT.—*Issue of licences/release orders for raw materials and components to small scale units engaged in "Select" and "Non-Select" industries for the period April,* 1975—*March,* 1976.

No. 22-ITC(PN)/76.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 18-ITC(PN)/76, dated the 12th February, 1976, on the above subjects.

2. In order to enable the licensing authorities to review the applications already disposed of by them, applicants whose applications have been rejected but who are eligible for licences in terms of the aforesaid Public Notice, and the applicants to whom import licences have been issued for a value less than to which they are now eligible should approach the licensing authorities concerned on or before the 31st March, 1976. Similarly, the units covered by paras 3 and 4 of the said Public Notice should also make their applications to the licensing authorities on or before the 31st March, 1976, instead of 15th March, 1976, indicated earlier.

P. K. KAUL,
Chief Controller of Imports and Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1976

विषय.—"चुनिन्दा" और "गैर-चुनिन्दा" उद्योगों में लगे हुए लघु पैमाना एककों को कच्ची सामग्री और संघटनों के लिए अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 के लिए लाइसेंस/रिहाई आदेश जारी करना ।

संख्या 22-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76.—उपर्युक्त विषयक वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 18-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 12 फरवरी, 1976 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पहले ही निपटाए गए आवेदन पत्रों पर पुनः विचार किया जा सके, इसके लिए उनको समर्थ बनाने के लिए जिन आवेदकों के आवेदनपत्र अस्वीकृत कर दिए गए हैं परन्तु जो पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार, लाइसेंसों के लिए पात्र हैं और जिन आवेदकों को उस मूल्य से कम मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं जिसके लिए वे अब पात्र हैं, उन्हें 31 मार्च 1976 को या इससे पहले सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों से सम्पर्क करना चाहिए। इसी प्रकार, उक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 3 और 4 में आने वाले एककों को भी अपने आवेदनपत्र पहले निर्दिष्ट तिथि 15 मार्च, 1976 के बजाए, 31 मार्च, 1976 को या इससे पहले लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजने चाहिए।

पी० के० कौल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976